रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231156
CG-DL-E-16112021-231156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943
No. 649] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

Indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 798(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (3) में, "परिसंकटमय अपशिष्टों" शब्दों के स्थान पर "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड 23 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'23. "अन्य अपशिष्ट" से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए अनुसूची के भाग ख और भाग घ में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसे स्वदेशी रूप से उत्पादित अपशिष्ट भी हैं जो समय समय पर अधिसूचित किए जाएं;"।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में, .—

(i) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) उत्पादक के परिसर सहित (यदि यह प्रक्रिया का भाग नहीं है) एक संसाधन के रुप में परिसंकटमय अपशिष्ट का उपयोग या तो सह-प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोग के लिए पूर्व-संस्करण, केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के मानक प्रचालन के आधार पर अपशिष्ट के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा। ";

(ii) परंतुक के पहले उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) जहां परिसंकटमय अपशिष्ट के विशिष्ट उपयोग के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां उपलब्ध न हों वहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन की वांछा की जाएगी जो परीक्षणों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करेगा और इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार किए जाएंगे;"।

4. इन नियमों में नियम 13 के उप नियम (2) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"ग" ऐसा आयातक जो एक व्यापारी है, वास्तविक प्रयोक्ताओं की ओर से अपशिष्ट का या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के उपयोग के लिए आयात करता है, प्ररुप 7 में एक बारगी प्राधिकार के लिए आवेदन करेगा और प्ररुप 7क में एक बारगी प्राधिकार अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्राधिकार की एक प्रति प्ररुप 6 के साथ संलग्न की जाएगी।" ।

5. उक्त नियमों के नियम 19 में, उप नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(7) इस नियम के उपबंध अन्य अपशिष्ट पर लागू नहीं होंगे जो अनुसूची III के भाग घ में सूचीबद्ध हैं।" ।

6. उक्त नियमों की अनुसूची III में,

(क) भाग ख में, -

(i) मद ख 2 के अधीन बेसल सं. ख2020 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) मद ख 3 के अधीन बेसल सं. ख3020 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"ख3011	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट ■ मिथाइल मेथाक्राइलेट ■ --टेरेफ्थालेट"

(ख) भाग घ में, --

(i) स्तंभ (1) में, मद ख1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

ख2	मुख्यत: अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट धातु जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व हो सकते हैं
ख2020	गैर-विक्षेपित रुप में कांच अपशिष्ट : कांच क्युलेट और अन्य अपशिष्ट कैथोड रे ट्यूबों और अन्य एक्टिवेटिड कांच के अलावा कांच सक्रैप"

(ii) स्तंभ (2) में, मद ख3 के अधीन, बेसल सं. ख3020 के सामने प्रथम पंक्ति में, शब्दों और संकेतों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

पेपर, पेपरबोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट **#";

(iii) टिप्पणी में, "**देश में आयात की अनुमति" संकेतों और शब्दों से आरंभ होने वाले और "सत्यापन के अध्यधीन है" शब्दों से अंत होने वाले खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"**देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या एक बारगी आधार पर राज्य-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता के उपयोग के लिए व्यापारी को सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन है ।

**# देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या एक बारगी आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन है ।"।

7. उक्त नियमों की अनुसूची में, -

(i) स्तंभ (1) में मद ख3 के अधीन "ख3010" शब्द और अंकों के स्थान पर "ख 3011" शब्द और अंक रखा जाएगा ;

(ii) स्तंभ (2) में "पालिइथिलीन, टैरिफ पैकेट" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

8. उक्त नियमों की अनुसुची VIII में, --

(i) स्तंभ (2) में बेसल सं. ख1010, ख1050 और ख1100 से संबंधित क्र.सं. 1,2 और क्रम सं. 3 के सामने मद (ड.) के स्थान पर क्रमानुसार निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"(ड.) इंस्टीट्यूट ऑफ स्क्रैप रिसाइक्लिंग कोड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रचलित समतुल्य कोड में आने वाले अपशिष्टों से भिन्न आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट ;" ।

(ii) क्र.सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"7	"ख2020	गैर-विक्षेपित रुप में कांच अपशिष्ट : कांच क्यूलेट और अन्य अपशिष्ट और कथोड रे – ट्यूबों और अन्य एक्टिवेटिड कांच से कांच के सिवाय कांच स्क्रैप"	(क) सम्यक रुप से भरा हुआ प्ररुप 6 – संचलन दस्तावेज; (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, जहां कहीं लागू हों; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाणपत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और जब (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन कार्य करने के लिए और इन नियमों के अधीन प्राधिकार के लिए सहमति पत्र । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिमान्य प्राधिकार अपेक्षित है । (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्तीय वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावति की प्रति ।" ।

9. उक्त नियमों के प्ररुप 4 में, -

(i) "(उत्पादवार) जहां कहीं प्रयोज्य हो "कोष्ठकों और शब्दों से अंत होने वाले क्र. सं. 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4क. भाग क. के शीर्षक में "परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता" शब्दों के स्थान पर "परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता या आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) भाग क. के शीर्षक में "परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता" शब्दों के स्थान पर "परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता या आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

10.उक्त नियमों के नियम 7 में, --

(i) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएग, अर्थात् :-

"3. इंस्टीट्यूट ऑफ स्क्रैप रिसाइक्लिंग कोड या किसी अन्य समतुल्य कोड के साथ वर्णन जहां कहीं लागू हो या आयात किए जा रहे अपशिष्ट का और उसकी क्वालिटी का सम्मिश्रण";

(ii) क्र. सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(5क) प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्त (प्रयोक्ताओं) का (के) नाम और पता : (बेसल सं. ख3020 का आयात के लिए लागू (पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट);

(5ख) भावी वास्तविक प्रयोक्ता का नाम और पता (अन्य अपशिष्टों की आयात के लिए लागू)" ।

11. उक्त् नियमों में प्ररुप 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 7क

[नियम 13(2)(ग) देखें]

ऐसे व्यापारियों को, जो अनुसूची 3 के भाग घ में उल्लिखित अपशिष्ट का आयात कर रहे हैं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकबारगी प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्ररूप

1. प्राधिकार संख्या:-

2. संदर्भ:-- परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग घ के अनुसार अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारियों के प्राधिकार के लिए आवेदन प्ररूप (विशिष्ट आवेदन संख्या) तारीख.....

3. [व्यापारी का नाम और पता], जिसकी ----------पर भंडारण अवस्थितियां हैं, को अनुसूची 3 के भाग घ में अंतर्विष्ट अन्य अपशिष्ट के आयात, भंडारण और व्यापार करने के लिए निम्नानुसार प्राधिकार प्रदान किया जाता है:

क्र.सं.	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग घ के अनुसार अन्य अपशिष्ट का नाम और बैसल संख्या	वास्तविक या भावी उपयोगकर्ताओं की सूची और विस्तृत पता*	मात्रा (टन/एनम)

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें)

*- प्रत्येक अन्य अपशिष्ट के लिए विस्तृत सूची संलग्न की जा सकेगी ।

4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के नियम 13 के उपनियम (2) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकार प्रदान किया जाता है ।

5. यह प्राधिकार निम्नलिखित साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगा:-

क. साधारण शर्तें:

(i) प्राधिकृत व्यक्ति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा ।

(ii) यह प्राधिकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

(iii) प्राधिकृत व्यक्ति, इस प्राधिकार के माध्यम से अनुज्ञात अपशिष्ट से भिन्न अन्य आयातित अपशिष्टों का आयात, भंडारण और व्यापार नहीं करेगा ।

(iv) प्राधिकृत व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भंडारण अवस्थिति में परिवर्तन या भंडारण सुविधा की बंदी के संबंध में सूचित करेगा ।

(v) ऐसे अपशिष्ट का, जो अन्य आयातित अपशिष्ट के भंडारण और व्यापार के दौरान जनित होता है, उपचार और निपटान प्रचलित विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(vi) आयातक, आयात के खर्च का वहन करेगा और नुकसानी में, यदि कोई आयात, भंडारण और व्यापार की प्रक्रिया के दौरान कारित हो कमी करेगा, ।

(vii) यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन के लिए कोई अन्य शर्तें ।

(viii) वार्षिक विवरणी प्ररूप 4 के अनुसार किसी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के लिए 30 जून तक फाइल की जाएगी ।

(ix) प्राधिकृत व्यापारी ऐसी अन्य कानूनी अनुज्ञाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जो अपेक्षित की जाएं ।

ख. अन्य अपशिष्ट के भंडारण और हथालन की बाबत विनिर्दिष्ट शर्तें:

(जो जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए)

तारीख: जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम और मुद्रा"

IndiaCode

[फा. सं. 23/49/2021-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 395(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. सं. 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. सं. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2019; सा.का.नि. सं. 641(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 और सा.का.नि. सं. 47(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

G.S.R. 798(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, herebymakes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be calledthe Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub- rule (1),-

(i) in clause(3), for the words "hazardous wastes", the words "hazardous and other wastes" shall be substituted;

(ii) for clause(23), the following clause shall be substituted, namely: -

‘23. “other wastes" means wastes specified in Part B and Part D of SCHEDULE III for the purpose of import and export and include such indigenously produced wastes as may be notified from time to time;’’.

3. In the said rules, in rule 9, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

‘‘(1) The utilisation of hazardous wasteas a resource or after pre-processing either for co-processing or for any other use, including within the premises of the generator (if it is not part of process), shall be carried out only after obtaining authorisation from the State Pollution Control Board in respect of wastes on the basis of standard operating procedures or guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time.’’;

(ii) for sub-rule (2), before the proviso, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

‘‘(2) Where standard operating procedures are not available for specific utilisation of hazardous waste, the approval has to be sought from the Central Pollution Control Board which shall be granting approval on the basis of trial runs and thereafter, standard operating procedures shall be prepared by the Central Pollution Control Board:’’.

4. In the said rules, in rule 13, in sub-rule (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

‘‘(c) importer who is a trader, importing waste on behalf of actual users or for use of the actual users authorised by State Pollution Control Board, shall apply in Form 7 for one-time authorisation and obtain one-time authorisation in Form 7A and copy of such authorisation shall be appended to Form 6.’’.

5. In the said rules, in rule 19, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(7) The provisions of this rule shall not be applicable to other wastes as listed in Part D of SCHEDULE III.’’.

6. In the said rules, in SCHEDULE III,

(a) In part B, -

(i) under item B2, the Basel Number B2020 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) under item B3, for Basel Number B3010 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely: -

‘‘B3011	Solid plastic waste - Polymethyl methacrylate - Polyethylene terephthalate’’

(b) in Part D, -

(i) in column (1) after item B1 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely: -

B2	**Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
‘‘B2020	Glass wastes in non-dispersible form: - Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses’’

(ii) In column (2), under item B3, against Basel No. B3020, in the first line, for the words and symbols, the following shall be substituted, namely: -

‘‘Paper, paperboard, and paper product wastes **#’’;

(iii) in the Note, for the clause beginning with the symbols and words “**Import permitted in the country” and ending with the words “Custom Authority”, the following clauses shall be substituted, namely: -

IndiaCode

"** Import permitted in the country to the actual user or to the trader for use of the actual users authorised by State Pollution Control Board on one-time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.

**# Import permitted in the country to the actual user or to the trader on behalf of the actual user authorised by State Pollution Control Board on one-time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.''.

7. In the said rules, in SCHEDULE VI, -

(i) in column (1) under item (B3) for the letter and figures, "B 3010", the letter and figures ''B 3011" shall be substituted;

(ii) in column (2) the words ''polyethylene terephthalate'' shall be omitted;

8. In the said rules, in SCHEDULE VIII,-

(i) in Column (2) against serial numbers 1, 2 and 3 relating to Basel Nos. B1010, B1050 and B1100 for item (e), the following shall respectively be substituted, namely: -

''(e) The Chemical analysis report of the wastes being imported other than wastes covered under the Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) code or equivalent code prevalent in international trade;''.

(ii) after S. No. 6 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely: -

''7.	''B2020	Glass wastes in non-dispersible form: - Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses''	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The consent to operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981) and the Water (Prevention and Control Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned State Pollution Control Board is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.''.

9. In the said rules, in Form 4,–

(i) after serial number 4 ending with the brackets and words ''(product wise), wherever applicable, the following shall be inserted, namely: -

''4a. Import of wastes during the year (waste-wise), wherever applicable'';

(ii) in Part A, in the heading, for the words "hazardous waste generators", the words

"hazardous waste generators or importers" shall be substituted.

10. In the said rules, in Form 7,–

(i) for serial number 3, and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely: -

''3. Description along with Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) or any other equivalent code where applicable or composition of the waste being imported and the quantity'';

(ii) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

''(5a). Name and address of authorised actual user (s): [Applicable for import of Basel No. B3020 (Paper, paperboard and paper product wastes);

(5b). Name and address of prospective actual user [Applicable for import of other wastes]''.

11. In the said rules, after Form 7, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM 7A

[See rule 13 (2) (c)]

FORM FOR GRANT OF ONE-TIME AUTHORISATION BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE TRADERS WHO ARE IMPORTING THE WASTE MENTIONED IN PART D OF SCHEDULE III

1. **Number of Authorisation:** ----

2. **Reference:** Application form for authorisation of traders for import of waste as per Part D of SCHEDULE III, of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (**Unique application number**) dated ----------

3. [**Trader Name and Address], having storage locations at [**……..], is hereby granted an authorisation for import, storage and trading of other wastes contained in Part D of SCHEDULE III as follows:

Sr.No.	Name and Basel No. of Other Waste as per the SCHEDULE III, Part D of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016	List and detailed address of actual or prospective users *	Quantity (ton/annum)

(Add additional rows as necessary)

* - Detailed list may be attached for each other waste.

4. This authorisation is granted as per the provisions of clause (c) of sub-rule (2) of rule 13, of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

5. This authorisation is subject to the following general and specific conditions:-

A. General conditions:

(i) The authorised person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and the rules made thereunder.

(ii) This authorisation shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the State Pollution Control Board.

(iii) The person authorised shall not import, store and trade in the imported other wastes other than those wastes permitted through this authorisation.

(iv) Authorised person shall intimate the State Pollution Control Board regarding change in the storage location or closure of storage facility.

(v) The waste which gets generated during storage and trading of imported other wastes shall be treated and disposed of as per prevailing regulations.

(vi) The importer shall bear the cost of import and mitigation of damages if any caused during the process of import, storage and trading.

(vii) Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Central Pollution Control Board, as the case may be, from time to time.

(viii) Annual return as per FORM 4 shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year.

(ix) The Authorised Trader shall be responsible to obtain other statutory permissions as may be required.

B. Specific conditions with respect to storage and handling of Other Waste:

(As may be specified by the Issuing Authority)

Date: Signature of Issuing Authority

Designation and Seal''

[F. No. 23/49/2021 - HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020 and number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.16 16:07:12 +05'30'